माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश

Maa Pateswari University, Balrampur, Uttar Pradesh

Website :https://mpublp.ac.inE-mail :reg.mpublp@gmail.com

पत्रांक–माँ.पा0वि0/ सम्बद्धता / 2026– 536

दिनांक–18.04.2026

सेवा में,

(1) प्रो0 आर0बी0एस0 बघेल, श्री लालबहादुर शास्त्री पी.जी. कालेज, गोण्डा। मो0–9415665127 (वि0वि0 प्रतिनिधि)
(2) प्रो0 अवनीश रॉय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर। मो0 –9936188355 (कला संकाय)
(3) प्रो0 अतुल शर्मा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, देवीपाटन मण्डल, मो0– 9410448710

विषय : माँ गायत्री मंगलादेवी पाण्डेय स्मारक महाविद्यालय, सेठिया मोतीगंज, गोण्डा में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी0ए0 सैन्य विज्ञान एवं अंग्रेजी पाठ्यक्रमों में स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल प्रदान किये जाने हेतु महाविद्यालय के स्थलीय निरीक्षण एवं आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त महाविद्यालय को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम / विषयों में स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु मा० कुलपति जी द्वारा आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या दो प्रतियों में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी सूच्य है कि निरीक्षक मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान निरीक्षक मण्डल महाविद्यालय भवन **(प्रत्येक शिक्षण कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय एवं अन्य कक्षों)** के साथ अपनी फोटो भी खिचवायेंगे एवंजियो टैगिंग भी करवायेंगे, जिसे निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण आख्या के प्रत्येक पृष्ठ एवं उसके समस्त संलग्नकों तथा महाविद्यालयों के निर्मित भवन की **जियो टैग्ड फोटोग्राफी व विडियोग्राफी** पर निरीक्षण मण्डल द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर तथा अण्डरटेकिंग देना अनिवार्य है।

उक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर निरीक्षण मण्डल को स्पष्ट आख्या देना अनिवार्य है–

क्र.सं.	निरीक्षण–बिन्दु
1.	महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति / ट्रस्ट के पंजीकरण एवं वैधता की तिथि ।
2.	महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से सम्बन्धित खतौनी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार / उपजिलाधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति ।
3.	महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का संयुक्तता प्रमाण–पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी–नक्शा मूलरूप में सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति।
4.	महाविद्यालय नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित होने की स्थिति में सन्दर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण–पत्र उपलब्ध होने की स्थिति।
5.	मानकानुसार सोसायटी / ट्रस्ट की विगत वर्षों 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 की सी.ए. द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट अथवा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सोसायटी / ट्रस्ट की वार्षिक आय का मूल प्रमाण–पत्र।
6.	मानकानुसार सोसायटी / महाविद्यालय के बचत खाते में जमा धनराशि का प्रमाण।
7.	मानकानुसार संकाय / पाठ्यक्रम हेतु प्राभूत धनराशि के रूप में जमा एफ०डी०आर० की मूलप्रति को कुलसचिव के पद नाम से बन्धक (प्लेज्ड) उसकी स्वप्रमाणित प्रति तथा मूल प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।
8.	प्रबन्ध तन्त्र के द्वारा आवेदन–पत्र में अंकित विवरण / प्रविष्टियाँ तथ्यों पर आधारित एवं सही है, का प्रबन्धक एवं एक सदस्य द्वारा एक साथ रु. 100 / – के स्टॉम्प पेपर पर फोटोयुक्त नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूलरूप में होने की स्थिति ।
9.	स्नातकोत्तर विषयों हेतु यू.जी.सी. की धारा–2एफ में पंजीकृत होने की स्थिति ।
10.	महाविद्यालय में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण एवं विगत (सत्र–2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) तीन वर्षों का विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित / सत्यापित परीक्षाफल।
11.	महाविद्यालय में मानकानुसार व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्माण कराये जाने की स्थिति।
12.	फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की स्थिति।
13.	प्रायोगिक पाठ्यक्रम / विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएँ स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण / संयन्त्र होने की स्थिति।
14.	प्रबन्ध समिति के गठन व अनुमोदन की स्थिति।
15.	मानकानुसार शिक्षकों एवं प्राचार्य के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति तथा नियुक्ति की संविदा अवधि।
16.	निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ्स, चहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण–पत्र, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसज्जन का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ्स व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति।
17.	निरीक्षण मण्डल की संस्तुति।

18.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में की गई संस्तुति।
19.	नियुक्त प्राचार्य एवं अध्यापकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में बैंक के द्वारा पुष्टि।
20.	महाविद्यालय वर्ष– 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 की परीक्षा में सामूहिक नकल का आरोपित न होने की स्थिति।
21.	महाविद्यालय में अग्निशमन यन्त्र स्थापित होने एवं अध्यापकों/कर्मचारियों/स्टॉफ को प्रशिक्षित करने की स्थिति का प्रमाण।
22.	संस्थान/महाविद्यालय को प्राप्त अनापत्ति में दर्शित भूमि का विवरण।
23.	महाविद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बने होने का प्रमाण।
24.	महाविद्यालय की वेबसाइट/ईमेल एड्रेस बने होने का प्रमाण।
25.	महाविद्यालय के नाम दर्शायी गयी उपरोक्त भूमि का उपयोग अन्य कार्यों के लिये न किया जा रहा हो, यथा–बी.टी.सी., आई.टी.आई.,पालिटेक्निक आदि संस्थाओं के लिये भी उक्त भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रबन्धक द्वारा दिया जाय।
26.	महाविद्यालय में पूर्व से चल रहे सभी विषयों का कक्षा संचालन/टंकित प्रति महाविद्यालय द्वारा पूर्ण करा लिया गया है, का प्रमाण पत्र ।
27.	सभी अभिलेख प्रबन्धक एवं अनुमोदित प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
28.	विश्वविद्यालय परीक्षा सम्बंधी व्यय/अग्रिम का पूर्ण समायोजन करा लिया गया है, से सम्बन्धित वित्त विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ।
29.	महाविद्यालय के पूर्ण भूमि/भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटक्ट से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाय।
30.	संस्था/महाविद्यालय के भूमि के खिलाफ कोई वाद/विवाद तो नहीं है, का प्रमाण (शपथ पत्र)।
31.	सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों में दी गयी शर्तों की पूर्णता की स्थिति (शपथ पत्र)।
32.	महाविद्यालय में कोई भी न्यायालयीय विवाद है तो उसका विवरण (शपथ पत्र)।
33.	विश्वविद्यालय से महाविद्यालय तक का रूट चार्ट।

मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षण दल को टी.ए./डी.ए. का भुगतान महाविद्यालय द्वारा स्वयं किया जायेगा। निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण आख्या तथा निरीक्षक मण्डल के सभी सदस्यों के **हस्ताक्षरितयुक्त जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स** भी साथ में प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षक मण्डल द्वारा संलग्न प्रारूप के प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट एवं तथ्यात्मक आख्या दी जायेगी। **निरीक्षण के समय सम्बद्धता के मानकों से सम्बन्धित कोई कमियाँ महाविद्यालय में पायी जाय तो उनका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण आख्या में दर्शाया जाय। साथ ही निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से निम्नलिखित अण्डर टेकिंग अनिवार्य रूप से देनी होगी–**

अण्डर टेकिंग

1. मैंने अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में स्वयं अभिलेखों एवं स्थल का निरीक्षण कर लिया है और मानक पूर्ण होने की स्थिति से पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ।
2. यदि निरीक्षण आख्या में कोई त्रुटि भविष्य में प्रकाश में आयेगी तो हम सभी सदस्य सामूहिक रूप से दण्ड के भागी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्धक, **माँ गायत्री मंगलादेवी पाण्डेय स्मारक महाविद्यालय, सेठिया मोतीगंज, गोण्डा** को उपरोक्त बिन्दु अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
2. नामित सदस्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कराकर निरीक्षण आख्या सक्षम अभिलेखों सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त निरीक्षण मण्डल अनुचित साधन प्रयोग समिति के निर्णय के अन्तर्गत, कक्षा संचालन, A.I.S.H.E 2024–25 एवं परीक्षा शुल्क 2025–26 जमा/प्राप्ति के अन्तर्गत नामित किया जाता है।
3. निरीक्षण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराकर पैनड्राइव की एक–एक प्रति कुलसचिव कार्यालय तथा कुलपति कार्यालय को प्राप्त करायी जाय।
4. निरीक्षण मण्डल के सभी सदस्य एक साथ महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या देंगे।

कुलसचिव